

इसे वेबसाईट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 28 जनवरी 2014—माघ 8, शक 1935

आवास एवं पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश  
पर्यावरण परिसर, ई-अरेठा कालोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2014

#### सूचना

क्र. 464-वियो-406-नग्रानि-2014.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि शहडोल निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार दिनांक 28 जनवरी 2014 को प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति कार्यालयीन समय में निरीक्षण के लिये उपलब्ध है:—

1. आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल
2. कलेक्टर, जिला शहडोल
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, शहडोल

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित में नगर तथा ग्राम निवेश के शहडोल जिला कार्यालय में मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने के 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

गुलशन बामरा, आयुक्त-सह-संचालक.

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2014

क्र. एफ. 3-9-2014-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, आवास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 3-9-2014-बत्तीस, दिनांक 25 जनवरी 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वर्षा नावलेकर, उपसचिव।

Bhopal, the 25th January 2014

#### NOTICE

No. 464-MPS 406-2014.—Notice is hereby given that the Draft of Development Plan for Shahdol Planning Area has published on dated 28th January 2014 in accordance with the provisions of sub-section (1) of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), a copy there of is available for inspection during office hours at :—

1. Commissioner, Shahdol Division, Shahdol
2. Collector, District Shahdol
3. Deputy Director, Town & Country Planning, Distt. Office Shahdol

If there be any objection or suggestion with respect to the said draft plan, the same may be submitted in writing to the abovementioned distict office of Town & Country Planning, Shahdol before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration.

GULSHAN BAMRA, Commissioner-cum-Director.